[2023] 4 एस. सी. आर. 547

पी. वी. निधिश और अन्य

बनाम

केरल राज्य वक्फ बोर्ड और अन्य.

(आपराधिक अपील संख्या 309/2023)

अप्रैल 28,2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

वक्फ अधिनियम, 1995 - 2013 के संशोधन द्वारा धारा 52A जोड़ा गया-दंड प्रावधान-संचालन, यदि पूर्वव्यापी है - अभिनिर्धारित: नही- दंडात्मक कानून के प्रभाव के लिए ताकि पिछले कार्यों को शामिल किया जा सके। इसलिए, धारा 52A उन मामलों को कवर नहीं कर सकता है जहां वक्फ संपत्तियों के पट्टे अतीत में समाप्त हो गए थे और जहां किरायेदार या पट्टेदार भौतिक कब्जे में था और 2013 का संशोधन लागू होने के समय बेदखली के लिए दीवानी कार्यवाही का सामना कर रहा था-

क़ानूनों का व्याख्या।

वक्फ अधिनियम, 1995 - 2013 के संशोधन द्वारा धारा 3 (ई. ई.) जोड़ा गया-"अतिक्रमणकारी"- व्याख्या-अपीलकर्ताओं का मानना था कि जब संशोधन लागू हुआ तो अपीलकर्ता परिसर में कब्जे में थी और उनकी बेदखली के लिए दीवानी कार्यवाही लंबित थी। उनकी किरायेदारी की समाप्ति पर विवाद को देखते हुए, यदि संशोधन प्रभावी होने के बाद अपीलकर्ता "अतिक्रमणकारी" बन गए-अभिनिर्धारित: नहीं-अतीत में समय के प्रवाह या उनकी वैध समाप्ति से पट्टों या अन्य व्यवस्थाओं की समाप्ति का अर्थ यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे पट्टेदार "अतिक्रमणकारी" बन जाते हैं-न ही पिछले किरायेदार जिनके कब्जे पर विवाद है, और अदालत के समक्ष उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही लंबित है धारा 3 (ई. ई.) के तहत , उस विवरण में उपयुक्त बैठती है। इस तरह की व्याख्या की परिणाम बहुत चौंका देने वाली होगी ; समाप्ति (उदाहरण के लिए,

पट्टों की), वैधता के निर्णय से पहले कब्जा रखने वाले किरायेदारों पर मुकदमा चलाया जाएगा।"अपराध जारी रखने" का कोई संकेत या ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है जो यह सुझाव दे कि ऐसा शब्द (सीआरपीसी की धारा 472 में उल्लिखित) उन कार्यों के लिए आकर्षित होगा जो अतीत में शुरू हुए थे, यानी 2013 के संशोधन के लागू होने से पहले । अन्यथा मानने के लिए, यह अदालत एक ऐसी व्याख्या का सहारा ले रही होगी जो अपीलकर्ताओं को सीधेअनुच्छेद 20 (1) के तहत उनके अधिकारों से वंचित कर देती है - एक ऐसा परिणाम जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है- आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 472 , 482 - भारत का संविधान-अनुच्छेद 21 ।

शब्द और वाक्यांश-"जो भी वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52ए के तहत अलग करता है या खरीदता है या कब्जा लेता है-चर्चा-वक्फ अधिनियम, 1995 – धारा 52A।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारण: 1.1 वर्तमान मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वक्फ अधिनियम, 1954 के अधिनियमित होने से पहले ही अपीलार्थी के कब्जे में आ गया था (हालांकि सटीक तिथि स्पष्ट नहीं है और यह विवाद का विषय हो सकता है)। हालाँकि, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि एक मध्यस्थ वाद में , अपीलार्थी को मुकदमे में तीसरे प्रतिवादी को किराया देने की अनुमति दी गई थी। जब संशोधन लागू हुआ वे लोग परिसर में कब्जे में थे। वास्तव में संशोधन से उनको बेदखल करने के लिए असफल रूप से कार्यवाही शुरू किया गया था। एक और शुरू किया गया था और इसके लागू होने के बाद लंबित था। इन परिस्थितियों में, क्या यह कहा जा सकता है कि उनकी किरायेदारी की समाप्ति पर विवाद के परिणामस्वरू संशोधन प्रभावी होने के बाद वे "अतिक्रमणकारी" बन गए? [पैरा 21] [562-सी-ई]

1.2 अतीत में पट्टे, या अन्य व्यवस्थाओं की समाप्ति, समय के प्रवाह या उनकी वैध समाप्ति से, इसका मतलब यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे पट्टेदार "अतिक्रमणकारी" बन जाते हैं। न ही पिछले किरायेदार जिनके कब्जे पर विवाद है, और

अदालत के समक्ष उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही लंबित है धारा 3 (ई. ई.) के तहत , उस विवरण में उपयुक्त बैठती है। इस तरह की व्याख्या की परिणाम बहुत चौंका देने वाली होगी; समाप्ति (उदाहरण के लिए, पट्टों की), वैधता के निर्णय से पहले कब्जा रखने वाले किरायेदारों पर मुकदमा चलाया जाएगा। "अपराध जारी रखने" का कोई संकेत या ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है जो यह सुझाव दे कि ऐसा शब्द (सीआरपीसी की धारा 472 में उल्लिखित) उन कार्यों के लिए आकर्षित होगा जो अतीत में शुरू हुए थे , यानी 2013 के संशोधन के लागू होने से पहले । अन्यथा मानने के लिए , यह अदालत एक ऐसी व्याख्या का सहारा ले रही होगी जो अपीलकर्ताओं को सीधे अनुच्छेद 20 (1) के तहत उनके अधिकारों से वंचित कर देती है - एक ऐसा परिणाम जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उस प्रावधान का सादा पाठ इस तरह की व्याख्या को मना करता है, और उस पहलू पर अधिकारी स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि पिछले कार्यों को शामिल करने के लिए एक दंडात्मक क़ानून को प्रभावी बनाना कानून में एक निषिद्ध कार्रवाई है। इसलिए, " जो कोई भी ", जो धारा 52ए का प्रारंभिक वाक्यांश है, को अलग करता है या खरीदता है या कब्जा करता है , उसे अतीत में लिया गया कब्जा शामिल करने के लिए पढ़ा या समझा नहीं जा सकता है , जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान लागू होने पर कब्जा जारी रहा। धारा 52ए उन मामलों को शामिल नहीं कर सकती है जहां वक्फ संपत्तियों के पट्टों की अवधि अतीत में समाप्त हो गई थी और जहां किरायेदार या पट्टेदार, 2013 के संशोधन के लागू होने के समय , भौतिक रूप से कब्जा में था। और बेदखली के लिए दीवानी कार्यवाही का सामना करना। यह रिकॉर्ड की बात है कि केरल उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सी. ई. ओ. के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई थी और किरायेदार की बेदखली को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को रद्द कर दिया कि किरायेदार एक अतिक्रमणकारी था। वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पूरा मामला नए सिरे से विचार के लिए भेजा गया था। आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है; इसे रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 22-24] [562-F-H; 563-A-C, F]

राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य

[1953] एस. सी. आर. 1188

रमेश गोबिंदराम (मृत) द्वारा एल. आर. बनाम सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ [2010] 10 एससीआर 945; टी. बरई बनाम हेनरी आह हो [1983] 1 एस. सी. आर. 905-पर निर्भर था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम अजय अग्रवाल

[2010] 3 एससीआर 70 : मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य [2015] 6 एससी 222: [2015] 5 एससीआर 435; कनैयालाल चंदूलाल मोनिम बनाम इंदुमती टी. पोतदार और अन्य [1958] 1 एससीआर 1394 - संदर्भित किया गया है।

नॉर्मन प्रिंटिंग ब्यूरो बनाम पीएस मामन हाजी वक्फ ट्रस्ट 2013 (4) के. एल. टी. 606-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2010] 3 एससीआर 70	संदर्भित किया गया	पैरा 11
[2015] 5 एससीआर 435	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
[2010]10 एससीआर 945	संदर्भित किया गया है	पैरा 14
[1953] एससीआर 1188	आया	पैरा 18
[1983] 1 एससीआर 905	उस पर भरोसा करें	पैरा 19
[1958] 1 एससीआर 1394	संदर्भित किया गया है	पैरा 20

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं 309/2023

केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम द्वारा सी. आर. एल. एम. सी. सं. 5072/ 2015 में दिनांक 03.03.2016 में पारित निर्णय और आदेश से।

आर. बसंत, सीनियर अधिवक्ता , रागेंथ बसंत, सेंथिल जगदीशन, मनु कृष्णन, सुश्री रूपाली लखोटिया, अधिवक्ता- अपीलार्थियों की ओर से।

हारिस बीरन, मुस्ताक सलीम, अज़हर असीस, सैयद मरज़ूक बाफाकी, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के जॉय, अलीम अनवर, अधिवक्ता- उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. वर्तमान अपील1 को पक्षकारों के अधिवक्ता की सहमति से अंततः सुना गया। अपीलकर्ता केरल उच्च न्यायालय 2 के फैसले से व्यथित हैं , धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "दंड प्रक्रिया संहिता") के तहत उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। उन्होंने उन कार्यवाहियों के माध्यम से, उनके खिलाफ स्थापित एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी।

I

2. अपीलकर्ताओं का आग्रह है कि एक पी. एम. मम्मू हाजी ने वक्फ अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले (1916 में) दो दुकान के कमरे (नगरपालिका संख्या VII/214 और VII/215 के रूप में इसके बाद "परिसर") पट्टे पर दिए थे। " नॉर्मन प्रिंटिंग ब्यूरो "(इसके बाद" ब्यूरो ") जो अच्युतन नायर से संबधित था; यह परिसर में काम कर रहा था। बाद में एक साझेदारी फर्म बनाई गई, जिसमें एक पी. वी. सामी भागीदार थे। फर्म ने इन सभी वर्षों को जारी रखा और अब भी जारी है। ब्यूरो 'नॉर्मन पंचांग' प्रकाशित करता है जिसमें ज्योतिष में उपयोग किए जाने वाले खगोलीय डेटा होते हैं।

3. उत्तरदाताओं का आरोप है कि पी. एम. मम्मू हाजी ने वर्ष 1951 में एक वक्फ बनाया था। उनकी मृत्यु के बाद, ट्रस्टी को हटाने के लिए उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (ओ. एस. नंबर 130/1965 उप न्यायालय, कालीकट के समक्ष) द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था। मम्मू हाजी के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच भी वक्फ या ट्रस्ट होने को लेकर विवाद चल रहा था। उस मुकदमे में, अदालत ने पाया कि मम्मू हाजी ने एक निजी न्यास बनाया; इसने मौजूदा न्यासी को हटा दिया। इसी बीच में, परिसर के लिए किराया बढ़ा दिया गया था, और 15.09.1973 को पक्षों के बीच एक किराया वृद्धि विलेख निष्पादित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने परिसर के स्वामित्व के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण अनिश्चितता देखी और कोझिकोड की मुन्सिफ अदालत के समक्ष 30.03.1998 को एक मध्यस्थ मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे को जिला न्यायाधीश की फाइल में स्थानांतरित कर दिया गया था (ओएस 147/2001) जहाँ अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया और अपीलार्थियों को तीसरे प्रतिवादी को किराया देने का निर्देश दिया।

4. बोर्ड के सी. ई. ओ. अपीलकर्ता के खिलाफ निष्कासन के लिए कई कार्यवाही शुरू की। पहले प्रयास 2004 में वक्फ बोर्ड के आदेश 3 के परिणामस्वरूप हुआ कि अपीलकर्ता अनधिकृत कब्जे में नहीं थे और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने के बाद दिनांक 16.05.2005 को बेदखल किया जा सकता था। अपीलकर्ता फर्म के प्रबंधक के खिलाफ, उसे बेदखल करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष एक और कार्यवाही (ओएस 13/2006) दायर की गई थी। यह आदेश दिया गया था; लेकिन पुनरीक्षण कार्यवाही 4 में, केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है और अपीलकर्ताओं को केवल सक्षम सिविल अदालत के समक्ष सिविल कार्यवाही के माध्यम से ही बेदखल किया जा सकता है।

5. एक सिविल सूट (ओएस नंबर 22/2012) में अपीलकर्ता द्वारा पुनर्निर्माण और संरचनात्मक परिवर्तनों पर रोक लगाने वाले निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ राहत का दावा किया गया था ; निषेधाज्ञा ट्रस्ट/वक्फ के सीईओ द्वारा जारी की गई थी। अपीलकर्ताओं ने मुकदमे को प्राथमिकता दी और तर्क दिया कि दोनों , यानी वक्फ और ट्रस्ट एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते क्योंकि एक वक्फ भगवान के पक्ष में समर्पण

पैदा करता है जबकि एक ट्रस्ट संपत्ति को ट्रस्टियों के हाथों में सौंप देता है।अपीलकर्ताओं ने प्रारंभिक मुद्दे के रूप में यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है। ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी /वादी के पक्ष में फैसला सुनाया , जिस पर अपीलकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत की एक खंडपीठ ने मुकदमे को न्यायाधिकरण के समक्ष विचारणीय माना।हालाँकि , विशिष्ट किरायेदारी संपत्तियों के संबंध में (ट्रिब्यूनल के समक्ष) निषेधाज्ञा मांगने की वादी की क्षमता के सवाल पर, अदालत ने कहा, "वक्फ की ओर से, प्रतिवादी के खिलाफ एक मामला है जिस पर स्वतंत्र रूप से विचार करना और निर्णय लेना होगा " यह एक "परेशान करने वाला" तथ्य और विधि का प्रश्न था जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 के तहत एक कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता था।

6. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया गया जो दिनांक 01.11.2013 से प्रभाव में आया । दो नए प्रावधान जोड़े गए , एक "अतिक्रमणकारी" की परिभाषा थी:[धारा 3 (ई. ई.)] ।

"'अतिक्रमणकारी' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या संस्था, सार्वजनिक या निजी, जो कानून के अधिकार के बिना, पूरी तरह या आंशिक रूप से वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर रहा है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी किरायेदारी , पट्टा या लाइसेंस समाप्त हो गया है या मुतवल्ली या बोर्ड द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

"बोर्ड" को इस प्रकार परिभाषित किया गया था: [धारा 3(सी)]:

"सी) "बोर्ड" का अर्थ उप-धारा (1) के तहत स्थापित वक्फ बोर्ड है, या जैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) के तहत) धारा 13 की औज इसमें धारा 106 के तहत स्थापित एक सामान्य वक्फ बोर्ड शामिल होगा" कुछ नए प्रावधान, अन्य बातों के साथ, संशोधन द्वारा शामिल किए गए- जिनमें धारा 52A और धारा 54 शामिल हैं , इस प्रकार पढ़ें:

"52 ए। (1) जो कोई भी किसी भी चल या अचल संपत्ति, जो कि वक्फ संपत्ति है, को बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी तरीके से, स्थायी या अस्थायी रूप से अलग कर

देगा या खरीद लेगा या कब्जा कर लेगा , उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो वर्ष तक बढ़ाई जाएगी ।

बशर्ते कि इस प्रकार हस्तांतरित की गई वक्फ संपत्ति, उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बिना किसी मुआवजे के बोर्ड में निहित कर दी जाएगी।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी , इस धारा के तहत दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।

(3) कोई भी अदालत इस धारा के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा नहीं लेगी।

(4) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कमतर कोई भी अदालत इस धारा के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

54. वक्फ संपत्ति से अतिक्रमण हटाना.--(1) जब भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोई शिकायत प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से यह विचार करता है कि किसी भूमि, भवन, स्थान या अन्य संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ है जो [वक्फ] संपत्ति है और, जिसे इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है, वह अतिक्रमणकर्ता को अतिक्रमण के विवरण निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस दिलवाएगा और उसे ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से पहले कारण बताने के लिए कहेगा, जैसे निर्दिष्ट तिथि से पहले अतिक्रमण हटाने के लिए उसे आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे नोटिस की एक प्रति संबंधित मुतवल्ली को भी भेजनी चाहिए।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे तरीके से तामिला किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) यदि, नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद , और निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतुष्ट है कि प्रश्न

में संपत्ति वक्फ संपत्ति है और वहां है ऐसी किसी भी वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया है, तो वह ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए बेदखली का आदेश देने के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है और अतिक्रमण की गई भूमि, भवन, स्थान या अन्य संपत्ति का कब्जा वक्फ के मुतवल्ली को दे सकता है।

(4) ट्रिब्यूनल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी से ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, बेदखली का आदेश देता है जिसमें निर्देश दिया जाता है कि वक्फ संपत्ति उन सभी व्यक्तियों द्वारा खाली कर दी जाएगी जो उसके या उसके किसी हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं, और आदेश की एक प्रति बाहरी दरवाजे या वक्फ संपत्ति के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाने के लिए कहें:

बशर्ते कि अधिकरण बेदखली का आदेश देने से पहले उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दे सकता है जिसके खिलाफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बेदखली के लिए आवेदन किया गया है।

(5) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (2) के तहत आदेश की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर बेदखली के आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है , तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति यह उस व्यक्ति को वक्फ संपत्ति से बेदखल कर सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है।

7. वक्फ अधिनियम में संशोधन, 2013 में, धारा 1(2) के आधार पर लागू हुआ ["यह उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है"] 01.11.2013 को जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है , उस तिथि तक, अपीलकर्ताओं को बेदखल करने के लिए शुरू की गई सिविल कार्यवाही लंबित थी। जबकि, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी ("जेएमएफसी") कोझिकोड की अदालत के समक्ष एक आपराधिक शिकायत 7 दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता अतिक्रमणकारी थे और धारा 52 ए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने इंटरप्लीडर सूट यानी सीएस 147/2001 में जिला न्यायाधीश के फैसले के अनुसार किराया देना जारी

रखा। एसटी संख्या 369/2015 दिनांक 08.05.2013 अपीलकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की। केरल उच्च न्यायालय के समक्ष पीसी ने आरोप लगाया कि उन्हें "अतिक्रमणकारियों" के रूप में नहीं माना जा सकता है और वे वैध कब्जेदार हैं, जिन्हें नागरिक कार्यवाही में बेदखल करने की मांग की गई थी , और उन कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। आक्षेपित आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

8. आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने "अतिक्रमणकारी" की परिभाषा निकालने और धारा 52A पर ध्यान देने के बाद कहा:

"4. जब इस विशेष मामले में बोर्ड द्वारा किरायेदारी समाप्त कर दी गई है , तो याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 3 (ईई) के अर्थ के तहत 'अतिक्रमणकारी' बन गए हैं। ऐसे मामले में, धारा 52A(1) के तहत अपराध आकर्षित किया जा सकता है, यदि इसकी सामग्री साबित हो जाती है। अधिनियम की धारा 52ए (3) के अनुसार, कोई भी अदालत बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा इस धारा के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी । इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें पुलिस द्वारा जांच की आवश्यकता हो। शिकायत पर केवल बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ही संज्ञान लिया जा सकता है। यहां, केरल राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है। वर्तमान में , याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही को समय से पहले समाप्त करने का कोई मतलब नहीं है।

II

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत ने तर्क दिया कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है कि दंडात्मक प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। नया डाला गया प्रावधान , यानी, धारा 52A "वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना" को दंडनीय अपराध बनाता है। हालांकि, इस मामले में यानी, वक्फ अधिनियम के लागू होने और संशोधन से बहुत पहले कब्जा 1916 में लिया गया था ,। तदनुसार, नया डाला गया प्रावधान इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

10. यह तर्क दिया गया कि संसद का यह इरादा कभी नहीं था कि जिन लोगों के पास पूर्व पट्टों और व्यवस्थाओं के तहत संपत्ति है, उनकी समाप्ति पर उन्हें "अतिक्रमणकारी" माना जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस तथ्य के अलावा कि संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, उत्तरदाता वैध रूप से यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि जो लोग एक सदी से किरायेदारों के रूप में परिसर के कब्जे में थे, वे 2013 अधिनियम के लागू होने पर अतिक्रमणकारी बन गए। अधिवक्ता ने बताया कि वह प्रावधान जो वक्फ बोर्ड को अतिक्रमणकारियों से निपटने में सक्षम बनाता है, धारा 54 है ; यह निष्कासन का प्रावधान करता है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिन्हें सीधे अतिक्रमणकारियों के रूप में निपटाने और मुकदमा चलाने की मांग की गई। विद्वान अधिवक्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (1) पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं के आचरण को अपराध नहीं माना जा सकता , भले ही धारा 52A लागू हो। प्रतिवादी के कदम को बरकरार रखना सीधे तौर पर अनुच्छेद 20(1) के तहत अपीलकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन होगा ।

11. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री हैरिस बीरन ने 2013 के वक्फ अधिनियम में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के बयान पर भरोसा किया। उन्होंने धारा 52ए को शामिल करने के पीछे तर्क पर जोर दिया, जो कि अवैध होल्डिंग घोषित करना है और ज़मीन पर कब्ज़ा करना अपराध है। जहां तक प्रावधान के पूर्वव्यापी आवेदन के संबंध में अपीलकर्ताओं के तर्क का सवाल है, अधिवक्ता ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम अजय अग्रवाल 8 (इसके बाद "अजय अग्रवाल") और मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य 9 पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि चूंकि अपीलकर्ताओं के पास अभी भी संपत्ति का कब्जा है, संशोधन उन पर लागू होता है।

12. उत्तरदाताओं द्वारा यह आग्रह किया गया था कि परिसर को तत्कालीन प्रबंध ट्रस्टी श्री केवी कुन्हम्मद कोया द्वारा 11 महीने की अवधि के लिए 15.09.1973 को बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना अपीलकर्ताओं को पट्टे पर दिया गया था, जिसे कार्यवाही क्रमांक 2/1976 दिनांक 09.09.1978 के आदेशानुसार दुर्व्यवहार एवं दुर्भावना के कारण बाद में बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था। आरोपी पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से वक्फ भवन में "नॉर्मन प्रिंटिंग ब्यूरो" नाम से एक व्यावसायिक संस्था का संचालन कर रहे हैं, जिसमें

उन्हें बने रहने का कोई अधिकार नहीं है ।वक्फ अधिनियम , 1995 की धारा 56 के अनुसार, वक्फ के मुतवल्ली/प्रबंध ट्रस्टी को बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना इमारत को पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 472 सीआरपीसी को ध्यान में रखते हुए , अपीलकर्ताओं का निरंतर कब्ज़ा एक सतत अपराध है। पिछले व्यवसाय के बावजूद , 2013 के संशोधन के तहत एक बार दंडात्मक प्रावधान कानून का हिस्सा बन गया , तो अपीलकर्ताओं का आचरण आपराधिक मुकदमा चलाने के जोखिम के संपर्क में आ गया। ऐसी परिस्थितियों में, अनुच्छेद 20 (1) पर निर्भरता गलत है।

III

14. वक्फ अधिनियम , 1954 , वक्फ अधिनियम , 1995 के अधिनियमन का पूर्ववर्ती था।इस अदालत ने रमेश गोविंदराम (मृत) द्वारा एल.आर.एस. बनाम सुगरा हुमायूं मिर्जा वक्फ के माध्यम से 1995 अधिनियम की योजना की व्याख्या की ।

वक्फ और उससे संबंधित मामले लंबे समय तक वक्फ अधिनियम , 1954 द्वारा शासित थे। हालाँकि, इस विषय पर एक नए कानून की आवश्यकता महसूस की गई थी क्योंकि पहले के कामकाज में देखी गई कमिया विशेष रूप से वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम, व्यक्तिगत वक्फ के प्रबंधन पर उनकी अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति । 1954 अधिनियम में बार-बार किए गए संशोधन, विचार के लिए उठते रहे प्रश्नों के प्रभावी उत्तर प्रदान करने में विफल रहे, संसद को वक्फ के बेहतर प्रशासन और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए वक्फ अधिनियम 1995 के रूप में एक व्यापक कानून लाना पड़ा।

1995 अधिनियम का अध्याय । इस अधिनियम की परिभाषाओं, शीर्षक, सीमा और प्रारंभ और अनुप्रयोग जैसी प्रारंभिक बातों से संबंधित है। अध्याय ।। वक्फों के प्रारंभिक सर्वेक्षण, वक्फों की सूची के प्रकाशन , वक्फों से संबंधित विवादों और ऐसे विवादों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्तियों का भी प्रावधान करता है ।अध्याय ।।। केंद्रीय वक्फ परिषद से संबंधित है जबकि अध्याय ।V बोर्डों की स्थापना और उनके कार्यों से संबंधित है। अध्याय V, VI और VII वक्फ के पंजीकरण और उसके खातों के रखरखाव

और वक्फ बोर्ड के वित्त को विनियमित करते हैं। अध्याय VIII, जिसके साथ विवाद अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है, न्यायिक कार्यवाही से संबंधित है और, अन्य बातों के साथ, न्यायाधिकरणों के गठन और उनके द्वारा विवादों के न्यायनिर्णयन के साथ -साथ सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार का भी प्रावधान करता है। अध्याय IX एक विविध अध्याय है जो केंद्र सरकार को वक्फ की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है और राज्य सरकार को स्थापना और पुनर्गठन और बोर्डों की स्थापना जैसे अन्य प्रावधानों के अलावा निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

15. अपीलकर्ताओं का तर्क है कि उनका निरंतर कब्जा और उत्तरदाताओं द्वारा उन्हें कब्जे से बेदखल करने के बार -बार असफल प्रयास परिसर में उनकी निरंतरता को कम वैध नहीं बनाते हैं और 2013 के संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं माना जा सकता है;अन्यथा, यह संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन करेगा । उत्तरदाताओं का तर्क है कि यह पूर्वव्यापी कानून का उदाहरण नहीं है , लेकिन यह आचरण (खाली करने के लिए कहने के बाद भी परिसर पर कब्जा जारी रखना) एक निरंतर अपराध के बराबर है। वे 2013 के संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के बयान और अजय अग्रवाल (ऊपर) के अनुपात पर भी भरोसा करते हैं ताकि यह आग्रह किया जा सके कि संशोधन अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन नहीं है। संशोधन (2013 के) के उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे दिया गया है:

"वक्फ अधिनियम , 1995, [जिसने वक्फ (संशोधन) अधिनियम , 1984 को निरस्त और प्रतिस्थापित किया] जो 1 जनवरी, 1996 को लागू हुआ। यह अधिनियम औकाफ के बेहतर प्रशासन और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों का प्रावधान करता है। हालाँकि, अधिनियम के काम करने के वर्षों में, यह व्यापक भावना रही है कि अधिनियम औकाफ के प्रशासन में सुधार करने में पर्याप्त प्रभावी साबित नहीं हुआ है।

2. भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री की उच्च स्तरीय समिति (जिसे सच्चर समिति भी कहा जाता है) ने 17 नवंबर, 2006 को प्रधान मंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त मुद्दे पर

विचार किया और महिलाओं के प्रतिनिधित्व, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना की समीक्षा, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सख्त और अधिक प्रभावी दृष्टिकोण और अन्य मामलों से संबंधित अधिनियम में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। समिति ने एक राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम और राज्य वक्फ विकास निगमों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इच्छित उद्देश्यों के लिए मूल्यवान वक्फ संपत्तियों के उचित उपयोग की सुविधा प्रदान की जा सके ।समिति ने सिफारिश की, कि अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि राज्य वक्फ बोर्ड प्रभावी हो जाएं और वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित तरीके से निपटने के लिए सशक्त हों। इसने अधिनियम में संशोधन करने की भी सिफारिश की ताकि वक्फ ट्रिब्यूनल को विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों के लिए नियुक्त एक पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा। वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति ने 4 मार्च, 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत अपनी तीसरी रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों के समयबद्ध सर्वेक्षण, अतिक्रमणों की रोकथाम और हटाने, केंद्रीय वक्फ परिषद बनाने से संबंधित व्यापक संशोधनों की सिफारिशें की, कि एक अधिक प्रभावी और सार्थक निकाय, वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए प्रावधान आदि की जाए। 23 अक्टूबर, 2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत अपनी नौवीं रिपोर्ट में , संयुक्त संसदीय समिति ने कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार किया। वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय वक्फ परिषद ने विचार किया। विभिन्न मुद्दों और अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जैसे अन्य हितधारकों के परामर्श से भी विचार किया गया है।

16. अजय अग्रवाल (ऊपर) में, पीड़ित पक्ष को कोई अपराध करने का दोषी नहीं ठहराया गया था। उन पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया गया . एक आदेश द्वारा उन्हें प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने में किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के साथ जुड़ने से पाँच साल की अवधि के लिए रोक दिया गया था; उन्हें पांच साल के लिए प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या लेनदेन करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। अदालत ने सामान्य धारा अधिनियम, 1897 के तहत "अपराध" की परिभाषा पर भरोसा किया (यानी, किसी भी कार्य या चूक

को उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है)। इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूतियों में लेन-देन से पांच साल तक सीमित निलंबन "अपराध" की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 2 (एन) के तहत अपराध की परिभाषा पर भी भरोसा किया।

"2.(एन) 'अपराध' का अर्थ है किसी भी कार्य या चूक को उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है और इसमें कोई भी कार्य शामिल है जिसके संबंध में पशु-अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के तहत शिकायत की जा सकती है);"

17. वर्तमान मामले में, इसमें कोई विवाद नहीं है कि धारा 52A एक दंडात्मक प्रावधान है; जिस व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्यवाही की गई है, आरोप साबित होने पर उसे दो साल तक की जेल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है ; सीआरपीसी में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है,। [धारा 52A(2)]

18. किसी को ऐसे आचरण के लिए दंडित करने के खिलाफ निषेधाज्ञा , जो अपराध होने पर अपराध नहीं था, एक अधिनियम द्वारा, जो बाद में, पूर्वव्यापी प्रभाव से अपराध बनाता है, हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनियमित किया गया है [अनुच्छेद 20 (1)।1] .इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य 12 में अनुच्छेद 20 (1) का तात्पर्य समझाया था :

"यह अनुच्छेद अपने व्यापक अर्थ में पूर्वव्यापी कानूनों के तहत दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने के लिए अधिनियमित किया गया है।फिलिप्स बनाम आयर [(1870) 6 क्यूबीडी 1, 23, 25] के प्रसिद्ध मामले में जस्टिस विल्स के बहुत ही विद्वान फैसले में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस तरह के निषेध के अंतर्निहित सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई है और बताया गया है। काल्डर बनाम बुल में यूएसए [3 डलास 386: 1 एल एड 648, 649]।अंग्रेजी मामले में यह समझाया गया है कि कार्योत्तर कानून वे कानून हैं जो किए जाने पर जो वैध था उसे रद्द कर देते हैं और दंडित करते हैं । इस सिद्धांत के सर्वोपरि महत्व पर कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसे पूर्वव्यापी कानून , जो पूर्वव्यापी रूप से अपराध बनाते हैं और उन्हें दंडित करते हैं , अत्यधिक असमान और अन्यायपूर्ण हैं।

19. इसी प्रावधान के बारे में बोलते हुए, इस अदालत ने टी. बरई बनाम हेनरी आह हो 13 में कहा कि:

"22. यह केवल पूर्वव्यापी आपराधिक कानून है जो अनुच्छेद 20(1) के तहत निषिद्ध है । अनुच्छेद 20 (1) में निहित निषेध यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा और न ही उस पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा , उससे अधिक जो अपराध के घटित होने के समय लागू कानून के तहत लगाया गया हो । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक केंद्रीय संशोधन अधिनियम नए अपराध बनाता है या किसी विशेष प्रकार के अपराध के लिए सजा बढ़ाता है , किसी भी व्यक्ति को ऐसे पूर्वव्यापी कानून द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और न ही संशोधन द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई सजा लागू हो सकती है। लेकिन जहां तक केंद्रीय संशोधन अधिनियम अधिनियम की धारा 16(1)(ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा को कम करता है , ऐसा कोई कारण नहीं है कि आरोपी को इस तरह का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। लाभकारी निर्माण के नियम के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के कानून की कठोरता को कम करने के लिए इस प्रकार के पूर्वव्यापी कानून को भी लागू किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत ठोस तर्क और सामान्य ज्ञान दोनों पर आधारित है। इसे क्रेज़ ऑन स्टैट्यूट लॉ, 7 वें संस्करण, पृष्ठ 388-89 के निम्नलिखित अंश में समर्थन मिलता है:

कालडर बनाम बुल [कालडर बनाम बुल, 1 एल एड 648: 3 यूएस 386 (1798)] के अमेरिकी मामले में चेस , जे. ने कहा, "प्रत्येक पूर्वव्यापी कानून..." आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक पूर्वव्यापी कानून पूर्वव्यापी कानून नहीं है. प्रत्येक कानून जो मौजूदा कानूनों में निहित अधिकारों को छीनता है या खराब करता है , वह पूर्वव्यापी है, और आम तौर पर अन्यायपूर्ण है और दमनकारी हो सकता है ; यह एक अच्छा सामान्य नियम है कि किसी कानून का कोई पूर्वव्यापी निरीक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में जहां कानून उचित रूप से और समुदाय के लाभ के लिए और व्यक्तियों के भी उनके प्रारंभ होने से पहले के समय से संबंधित हों: विस्मरण या क्षमा के क़ानून के रूप में वे निश्चित रूप से पूर्वव्यापी हैं, और वस्तुतः प्रतिबद्ध तथ्यों से संबंधित और उसके बाद दोनों हैं। लेकिन मैं निषेध के अंतर्गत किसी भी कानून को पूर्वव्यापी नहीं

मानता जो आपराधिक कानून की कठोरता को कम करता है , बल्कि केवल उन कानूनों पर विचार करता हूं जो अपराध को बनाते हैं या बढ़ाते हैं, या सजा बढ़ाते हैं या दोषसिद्धि के उद्देश्य से साक्ष्य के नियमों को बदलते है। किसी गैरकानूनी कार्य को वैध बनाने और किसी निर्दोष कार्य को अपराधी बनाकर उसे अपराध मानकर दंडित करने के बीच एक बड़ा और स्पष्ट अंतर है।"(एल एड पृ. 650)"।

20. कनैयालाल चंदूलाल मोनिम बनाम इंदुमती टी. पोतदार और अन्य, 14 में इस अदालत को यह तय करना था कि क्या एक मकान मालिक ने अपने किरायेदार को मिलने वाली सुविधाओं से इनकार कर दिया था , जिसके लिए बॉम्बे रेंट होटल और लॉजिंग हाउस दरें नियंत्रण अधिनियम 1947 का 57 की धारा 24(1)(4) के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। प्रावधान इस प्रकार है:

"24.(1) कोई भी मकान मालिक न तो स्वयं या अपनी ओर से कार्य करने वाले या कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से, बिना उचित या पर्याप्त कारण के किरायेदार द्वारा उसे दिए गए परिसर के संबंध में प्राप्त किसी भी आवश्यक आपूर्ति या सेवा को काट या रोक नहीं सकता है।

धारा 25(4) में तीन महीने तक की कैद या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया। मकान मालिक ने इस आधार पर अभियोजन का विरोध किया कि सुविधा, यानी, पानी की आपूर्ति मालिक बनने से पहले पूर्ववर्ती स्वामित्व में चूक के कारण काट दी गई थी। इसे अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें समवर्ती रूप से दोषी ठहराया गया। 1953 में एक संशोधन द्वारा एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि रोकी गई आपूर्ति कृत्यों या चूक के माध्यम से हो सकती है।इस अदालत ने धारा 24 की व्याख्या अधिनियम के लागू होने के बाद वर्तमान में एक दायित्व (सुविधा प्रदान करने की) लगाने के रूप में की:

"क्या यह पर्याप्त है कि इस आवश्यक आपूर्ति का किरायेदार द्वारा किसी भी पिछले समय में "आनंद" लिया जाना चाहिए था, चाहे वह कितना ही दूरस्थ क्यों न हो , या कि अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी समय इसका "आनंद" लिया जाना चाहिए

था? इस निर्णय के प्रयोजनों के लिए हम यह मान रहे हैं कि प्रत्येक भौतिक समय में पहला प्रतिवादी किरायेदार ही था। हमारी राय में, धारा यह आवश्यक बनाती है कि विशेष आवश्यक आपूर्ति किरायेदार के उपयोग के लिए उस समय उपलब्ध होनी चाहिए जब अधिनियम लागू था। दूसरी ओर, यदि धारा को इस अर्थ में समझा जाता है कि आपूर्ति का सुदूर अतीत में किसी समय "आनंद" लिया जाना चाहिए था, यानी अधिनियम लागू होने से पहले, मकान मालिक का कार्य, जब यह किया गया था , दंडात्मक नहीं हो सकता है; लेकिन अधिनियम के प्रभाव में आने पर वही कृत्य दंडनीय हो जाएगा। उस अर्थ में, यह कार्योंतर विधान के समान होगा, और हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि विधायिका का इरादा ऐसा था - एक ऐसा इरादा जो संविधान के अनुच्छेद 20(1) के निषेध के अंतर्गत आएगा ।

21. वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि वक्फ बनने से पहले ही अपीलकर्ता का कब्ज़ा हो गया था; वक्फ अधिनियम, 1954 के अधिनियमित होने से भी पहले(हालाँकि सटीक तारीख स्पष्ट नहीं है और विवाद का विषय हो सकता है)। हालाँकि, यह नोटिस करना पर्याप्त है कि एक इंटरप्लीडर मुकदमे में , अपीलकर्ताओं को मुकदमे में तीसरे प्रतिवादी को किराए का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। जब संशोधन लागू हुआ तो वे परिसर पर कब्जा कर रहे थे, वास्तव में, संशोधन से पहले उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही असफल रूप से शुरू की गई थी। एक और शुरू किया गया था और इसके लागू होने के बाद से लंबित था। इन परिस्थितियों में, क्या यह कहा जा सकता है - पिछली चर्चा को ध्यान में रखते हुए - कि उनकी किरायेदारी की समाप्ति पर विवाद के परिणामस्वरूप, संशोधन प्रभावी होने के बाद वे "अतिक्रमणकारी" बन गए?

22. इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, पट्टों की समाप्ति, या अन्य व्यवस्था, समय के प्रवाह या अतीत में उनकी वैध समाप्ति के कारण, यह नहीं माना जा सकता है (जैसा कि मोटे तौर पर उत्तरदाताओं द्वारा सुझाया गया है) इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे पट्टेदार बन जाते हैं "अतिक्रमणकारी"। न ही पिछले किरायेदार, जिनका कब्ज़ा विवादित है, और उनके खिलाफ अदालत में बेदखली की कार्यवाही लंबित है, धारा 3(ईई) के तहत उस विवरण में फिट होंगे। ऐसी व्याख्या के परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे ; समाप्ति (उदाहरण के लिए, पट्टों की) की वैधता के निर्णय से पहले ही , कब्जा रखने

वाले किरायेदारों पर मुकदमा चलाया जाएगा। "अपराध जारी रखने" का कोई संकेत या ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है जो यह सुझाव दे कि ऐसा शब्द (सीआरपीसी की धारा 472 में उल्लिखित) उन कार्यों के लिए आकर्षित होगा जो अतीत में शुरू हुए थे, यानी 2013 के संशोधन के लागू होने से पहले । अन्यथा मानने के लिए , यह अदालत एक ऐसी व्याख्या का सहारा ले रही होगी जो अपीलकर्ताओं को सीधे अनुच्छेद 20 (1) के तहत उनके अधिकारों से वंचित कर देती है - एक ऐसा परिणाम जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उस प्रावधान का सादा पाठ इस तरह की व्याख्या को प्रतिबंधित करता है, और उस पहलू पर अधिकारी स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि पिछले कृत्यों को कवर करने के लिए दंडात्मक क़ानून को प्रभावी करना कानून में एक निषिद्ध कार्रवाई है। इसलिए , अभिव्यक्ति "जो कोई भी अलग करता है या खरीदता है या कब्जा करता है ", जो कि धारा 52ए का प्रारंभिक वाक्यांश है, को अतीत में लिए गए कब्जे को शामिल करने के लिए पढ़ा या समझा नहीं जा सकता है , जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान लागू होने पर कब्जा जारी रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि धारा 52ए उन मामलों को कवर नहीं कर सकती है जहां वक्फ संपत्तियों के पट्टे अतीत में समाप्त हो गए थे और जहां 2013 का संशोधन लागू होने के समय किरायेदार या पट्टेदार भौतिक कब्जे में था और बेदखली के लिए नागरिक कार्यवाही का सामना कर रहा था।

23. यह अभिलेख की बात है कि 27.10.2020 के एक आदेश द्वारा, केरल उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी 15 के सीईओ के एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देने और किरायेदार की बेदखली को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि किरायेदार अतिक्रमणकारी था। पूरे मामले को वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया गया था:

“यदि मम्मू हाजी द्वारा बनाई गई इकाई वक्फ पाई जाती है, तो प्रबंधन में शामिल व्यक्ति के पास किरायेदारी समाप्त करने की शक्तियां होंगी और वह किरायेदार को बेदखल करने के लिए वक्फ अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का हकदार होगा, जो किरायेदारी की समाप्ति के बाद , अतिक्रमणकर्ता माना जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने किसी

भी पक्ष के तर्कों के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया है। मुद्दों पर ओएस नंबर 22/2012 में विचार किया जाना है।

24. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर ,आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ; इसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपील बिना खर्चे के आदेश से स्वीकार किया जाता है

.....जे।[एस रवीन्द्र भट्ट] ..... जे .[दीपांकर दत्ता] नई दिल्ली;

अप्रैल 28, 2023.

दिनेश बाउरी